



2026:AHC:126330

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 15786 वर्ष 2026

कारी अल्ताफ़

..... याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : चंदन यादव, दीपांशु कुशवाह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए., सैयद फैज़ हसनैन

कोर्ट नंबर - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपांशु कुशवाहा, विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फैज़ हसनैन के सहयोगी अधिवक्ता श्री मोहम्मद हसन, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त की ओर से वाद अपराध संख्या 37 वर्ष 2026, धारा 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(एफ)/6/18 पॉक्सो अधिनियम, थाना-गुलावटी, जनपद-बुलन्दशहर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक पर यह आरोप है कि एक शिक्षक होने के नाते, उसने पीड़ित को एक कमरे में बुलाया और शारीरिक बल का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। पीड़ित के शोर मचाने पर, आवेदक मौके से भाग गया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में बिना किसी ठोस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण के देरी की गई। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण घटना के लगभग 15 दिन बाद कराया गया, जिसमें चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि चोटें ताज़ा थीं, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि नहीं करती हैं। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर चोट का

जमानत याचिका संख्या 15786/2026

2

कोई निशान नहीं पाया गया। गंभीर यौन हमले का कोई साक्ष्य नहीं है, अतः धारा 5(24)/6/18 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध गठित नहीं होता है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। कथित घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है और आवेदक दिनांक 24.03.2026 से जेल में निरुद्ध है, तथा उसके नाम पर कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने एक गंभीर अपराध कारित किया है और शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए पीड़िता पर यौन हमला करने का प्रयास किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करते हैं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि चोट की रिपोर्ट में पीड़िता के गुदा चोट का कोई निशान नहीं पाया गया था।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु सहित अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

6. आवेदक- **कारी अल्ताफ**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है, या जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक शपथ-पत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की

जमानत याचिका संख्या 15786/2026

3

उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामला खोलने, (2) आरोप विरचित करने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय का यह मत हो कि आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति, संजीव कुमार)

9 जून, 2026

जीएसएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।